रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272911
CG-DL-E-27052026-272911

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948
No. 344] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

फा. सं. बीसीआई:डी: 3307/2026.— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सविता देवी उर्फ सविता ढांडा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, W.P. No. (C) 589/2026 में दिए गए आदेशों के अनुपालन में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय विधिज्ञ परिषद्) एतद्वारा वर्ष 2026 में आयोजित राज्य बार काउंसिलों के चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों के लिए निम्नलिखित निर्देश अधिसूचित करता है।

1. राज्य बार काउंसिल चुनाव, 2026 के लिए ट्रिब्यूनल का गठन

वर्ष 2026 से प्रभावी होने वाले राज्य बार काउंसिल चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाओं के निस्तारण के उद्देश्य से, निम्नलिखित ट्रिब्यूनल भारतीय बार काउंसिल के ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करेंगे:

ट्रिब्यूनल I

a. माननीय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, अध्यक्ष

b. माननीय न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, सदस्य

c. महोदया महालक्ष्मी पावनी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सदस्य

ट्रिब्यूनल II

a. माननीय न्यायमूर्ति हिमा कोहली, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, अध्यक्ष

b. माननीय न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, पूर्व मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, सदस्य

c. महोदया कवीता वाडिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सदस्य

2. पहले से लंबित मामलों का जारी रहना

उपर्युक्त ट्रिब्यूनल के गठन मात्र से, पहले के चुनावों या पहले सौंपे गए मामलों से संबंधित ऐसी चुनावी याचिकाएं, आवेदन या कार्यवाहियां स्वतः ही प्रभावित (बाधित) नहीं होंगी, जो पहले से ही किसी मौजूदा ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित हैं; जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाला ट्रिब्यूनल और उनके सदस्य भी शामिल हैं। ऐसे लंबित मामलों की सुनवाई उसी न्यायाधिकरण के समक्ष जारी रहेगी जिसे वे पहले से सौंपे गए हैं, जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रशासनिक कारणों से कोई अन्य आदेश जारी न करे।

3. चुनाव याचिकाओं का दाखिल करना

वर्ष 2026 से आयोजित होने वाले राज्य बार काउंसिल चुनावों से संबंधित प्रत्येक चुनावी याचिका को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव जो कि ट्रिब्यूनल के सचिव होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसी चुनावी याचिकाओं, शिकायतों, आवेदनों या ज्ञापनों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने और उन्हें पंजीकृत करने के उद्देश्य से सचिव/रजिस्ट्री के रूप में भी कार्य करेंगे।

4. मामलों का आवंटन

चुनावी याचिका के प्रस्तुत और पंजीकृत होने पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया विवाद की प्रकृति, लंबित मामलों की संख्या, सुविधा और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए मामले को संबंधित ट्रिब्यूनल (या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. वरधन बनाम भारत संघ एवं अन्य, W.P.(C) No. 1319/2023 में दिनांक 18.11.2025 को पारित अपने आदेश के माध्यम से गठित उच्च अधिकार प्राप्त चुनाव निगरानी समिति (High Powered Election Supervisory Committee) को आवंटित करेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रशासनिक सुविधा और त्वरित निपटान के लिए, चुनाव न्यायाधिकरणों के बीच मामलों का आवंटन या पुनरावंटन कर सकती है।

5. परिसीमन

किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव, परिणाम या घोषणा को चुनौती देने अथवा पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग करने वाली प्रत्येक चुनावी याचिका, परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगी।

बशर्ते कि, उन राज्य बार काउंसिलों के संबंध में जिनके परिणाम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, चुनावी याचिका आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर दायर की जाएगी।

6. शुल्क

प्रत्येक चुनावी याचिका के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खाते में ₹30,000/- की प्रक्रिया शुल्क जमा करने का प्रमाण संलग्न होना अनिवार्य होगा, एवं अन्य शिकायतों और/या आवेदनों के साथ 5,000 रुपये का शुल्क जमा करना आवश्यक होगा, जैसा कि 10 अक्टूबर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित नियमों के तहत पहले से ही निर्धारित है। किसी भी चुनावी याचिका को तब तक उचित रूप से दायर नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके साथ ऐसे जमा का प्रमाण संलग्न न हो, बशर्ते कि संबंधित ट्रिब्यूनल द्वारा इस संबंध में कोई अन्य आदेश पारित न किया गया हो।

7. निस्तारण के लिए समय-सीमा

गठित ट्रिब्यूनल चुनावी याचिकाओं का निपटान यथासंभव शीघ्रता से करने का प्रयास करेंगे और जहां तक व्यावहारिक हो, दायर करने की तारीख से अधिकतम छह सप्ताह की अवधि के भीतर करेंगे।

ट्रिब्यूनल अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है, अनावश्यक स्थगन (Adjournments) को कम कर सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, चुनावी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है, प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय ले सकता है, और चुनावी विवादों के त्वरित और प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक निर्देश पारित कर सकता है।

8. रिकार्ड और सहयोग

चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी राज्य बार काउंसिल, निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पर्यवेक्षक, अधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ट्रिब्यूनल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय या ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत कार्य करने वाले किसी भी प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे; और मांगे जाने पर, वे रिकॉर्ड, चुनावी दस्तावेज, परिणाम पत्रक, मतपत्र से संबंधित सामग्री (Ballot-related material), पत्राचार और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

9. स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस अधिसूचना को प्रभावी बनाने और चुनावी विवादों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रशासनिक स्पष्टीकरण, आवंटन आदेश, फाइलिंग निर्देश, रजिस्ट्री निर्देश या परिणामी निर्देश जारी कर सकती है जो आवश्यक हों।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

श्रीमंतो सेन, प्रमुख सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/2026-27]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

F. No. BCI:D: 3307/2026.— Pursuant to the orders of the Hon'ble Supreme Court of India in Savita Devi @ Savita Dhanda & Ors. v. Union of India & Ors., W.P. (C) No. 589 of 2026, the Bar Council of India hereby notifies the following directions for the election disputes arising out of the elections to the State Bar Councils held in the year 2026.

1. Constitution of Election Tribunals for State Bar Council Elections, 2026

For the purpose of adjudication of election petitions arising out of the elections to the State Bar Councils held with effect from the year 2026, the following Election Tribunals shall function as Election Tribunals of the Bar Council of India:

Election Tribunal I

(a) Hon'ble Mr. Justice Deepak Gupta, former Judge, Supreme Court of India, as Chairperson;

(b) Hon'ble Mr. Justice Dhiraj Singh Thakur, former Chief Justice, Andhra Pradesh High Court, as Member;

(c) Ms. Mahalakshmi Pavani, Senior Advocate, as Member.

Election Tribunal II

(a) Hon'ble Ms. Justice Hima Kohli, former Judge, Supreme Court of India, as Chairperson;

(b) Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan, former Chief Justice, Jharkhand High Court, as Member;

(c) Ms. Kaveeta Wadia, Senior Advocate, as Member.

2. Continuance of earlier pending matters

The constitution of the aforesaid Tribunals shall not, by itself, disturb election petitions, applications or proceedings relating to earlier elections or earlier assigned matters which are already pending before any existing Election Tribunal, including the Tribunal headed by Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon, former Chief Justice, High Court of Delhi, along with its Members. Such pending matters shall continue before the Tribunal to which they already stand assigned, unless the Bar Council of India, for administrative reasons orders otherwise.

3. Filing of Election Petitions

Every election petition relating to the State Bar Council elections held with effect from the year 2026 shall be presented before the Secretary, Election Tribunal, Bar Council of India, who shall also act as the Secretary/Registry for the purpose of receipt, scrutiny and registration of such election petitions, complaints, applications or representations.

4. Allocation of matters

Upon presentation and registration of an election petition, the Bar Council of India shall allocate the matter to the concerned Election Tribunal (or the High Powered Election Supervisory Committee constituted by Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 18.11.2025 passed in M. Varadhan v. Union of India & Ors., W.P. (C) 1319 of 2023), having regard to the nature of the dispute, pendency, convenience and workload. The Bar Council of India may, for administrative convenience and expeditious disposal, allocate or reallocate matters among the Election Tribunals.

5. Limitation

Every election petition seeking to question or set aside an election, result or declaration of any returned candidate, or the election as a whole, shall be filed within thirty days from the date of declaration of the result.

Provided that, in respect of those State Bar Councils whose results have already been declared before the date of publication of this notification, the election petition shall be filed within fifteen days from the date of publication of this notification in official gazette.

6. Fee

Every election petition shall be accompanied by proof of deposit of process fee of Rs.30,000/- in the account of the Bar Council of India and other complaints and/or applications shall be required to accompany a fee of Rs. 5,000/-as already prescribed under the Regulations notified in the Gazette of India on 10th October, 2023. The fee shall be payable to the Registrar of the Tribunal. No election petition shall be treated as duly filed unless accompanied by proof of such deposit, subject to such orders as may be passed by the concerned Election Tribunal.

7. Time frame for disposal

The Election Tribunals shall endeavour to dispose of election petitions as expeditiously as possible and, as far as practicable, within a maximum period of six weeks from the date of filing.

The Election Tribunal may regulate its own procedure, curtail unnecessary adjournments, call for records, direct production of election papers, decide preliminary issues, and pass such procedural directions as may be necessary for expeditious and effective adjudication of election disputes.

8. Records and cooperation

All State Bar Councils, Returning Officers, Assistant Returning Officers, Observers, officers and other authorities connected with the election process shall extend full cooperation to the Election Tribunal and the Bar Council of India and any authority acting under the directions of the Hon'ble Supreme Court or the Election Tribunal, and shall produce records, election papers, result sheets, ballot-related material, correspondence and other relevant documents as and when requisitioned.

9. Power to issue clarifications

The Bar Council of India may issue such administrative clarifications, allocation orders, filing instructions, registry directions or consequential directions as may be necessary for giving effect to this notification and for ensuring timely disposal of election disputes.

This notification shall come into force with immediate effect.

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./113/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.27 22:21:01 +05'30'